संख्या– / XVIII(II)/2021–18(30)/2021

प्रेषक,

डा0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021

विषयः–जनपद अल्मोड़ा में फायर स्टेशन दन्या की स्थापना हेतु 0.400 है0 भूमि पुलिस विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–6053/ग्यारह–19/2020–21, दिनांक 22 जुलाई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद अल्मोड़ा में फायर स्टेशन दन्या की स्थापना हेतु ग्राम लधौली के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या–65, श्रेणी–9(3)ग (गौचर भूमि) के खेत नम्बर 20 रकबा 1.011 है0 मध्ये 0.400 है0 भूमि को याचक विभाग/पुलिस विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु नियमानुसार शासन की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा में फायर स्टेशन दन्या की स्थापना हेतु ग्राम लधौली के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या–65, श्रेणी–9(3)ग (गौचर भूमि) के खेत नम्बर 20 रकबा 1.011 है0 मध्ये 0.400 है0 भूमि वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांक–15–02–2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7) 50(39)/2015/2014, दिनांक 09–07–1015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/ 2015–18 (169)/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII (II) /2020–08(63)/2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत पुलिस विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

....2

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित भूमि आवंटन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 5% बनाये रखना आवश्यक होगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या–1114/XVIII(II)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।